

RBI लोकपाल योजना

लोकपाल योजना, 2021 भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा शुरू की गई थी, ताकि बैंकों, NBFC और डिजिटल पेमेंट सिस्टम्स के ग्राहकों की शिकायतों का समाधान आसान और बेहतर तरीके से किया जा सके।

विनियमित इकाइयों का कवरेज: यह योजना निम्नलिखित विनियमित इकाइयों को शामिल करती है:

- i. सभी वाणिज्यिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और गैर-अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक, जिनकी जमा राशि पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिट की गई बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार 50 करोड़ रुपये या उससे अधिक है;
- ii. सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ (हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों को छोड़कर) जो (a) जमा स्वीकार करने के लिए अधिकृत हैं; या (b) जिनका ग्राहकों से सीधे संपर्क है और जिनकी संपत्ति का आकार पिछले वित्तीय वर्ष की ऑडिट की गई बैलेंस शीट की तिथि के अनुसार 100 करोड़ रुपये या उससे अधिक है;
- iii. योजना के अंतर्गत परिभाषित सभी सिस्टम प्रतिभागी।

नीचे प्रमुख विशेषताएँ दी गई हैं:

1. एक राष्ट्र, एक लोकपाल

- अब कई योजनाओं की जगह ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज करने का **एक ही प्लेटफॉर्म** है।

2. शिकायतों के प्रभावी निपटारे के लिए **केंद्रीय प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC)** – शिकायतों की प्राप्ति और प्रक्रिया के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने केंद्रीय प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) स्थापित किया है

3. "सेवा में कमी" दृष्टिकोण

- यह योजना शिकायतों के लिए विशिष्ट आधारों को सूचीबद्ध करने के बजाय **सेवा में कमी** से संबंधित शिकायतों को कवर करती है।
- इससे योजना का दायरा बढ़ता है और ग्राहकों के लिए शिकायत दर्ज कराना आसान हो जाता है।

4. CMS पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना।

- ग्राहक **RBI के शिकायत प्रबंधन प्रणाली (CMS)** पोर्टल: <https://cms.rbi.org.in> के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
- शिकायतें ईमेल या डाक द्वारा भेजे गए पत्रों के माध्यम से भी जमा की जा सकती हैं। नीचे विवरण दिए गए हैं:

केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र (CRPC) का संपर्क विवरण: पता: भारतीय रिज़र्व बैंक, सेक्टर 17, चंडीगढ़ - 160017, भारत, फ़ोन: +91 172 2721071, फ़ैक्स: +91 172 2701252, ईमेल: crpc@rbi.org.in

इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं लिंक:
www.findocfinvest.com

RBI लोकपाल योजना

प्रधान नोडल अधिकारी का विवरण:

नाम- श्री अरुण एस

ईमेल आईडी- arun.s@myfindoc.com

फ़ोन नंबर- 9916912198